झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः—3 / पी०एम०सी० / प्र0स्वी0 / 29 / 2015.................................. / राँची, दिनांकः ....

प्रेषकः

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया
उप सचिव (अभि०)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची

द्वाराः **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।**

विषयः—यॉंत्रिक प्रमंडल बनासो (हजारीबाग) अंतर्गत कुटीपीसी वीयर योजना, लपसिया वीयर योजना लोअर घाघरा डैम योजना के अंतर्गत अंडर स्लूइस गेटों, C/R, H/R कैनाल आउटलेट एवं उत्तोलन प्रणाली इत्यादि के जीर्णोद्धार कार्य हेतु रू० 26,26200.00 (रूपये छब्बीस लाख छब्बीस हजार दो सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश—स्वीकृत।

1. हजारीबाग जिलान्तर्गत यॉंत्रिक प्रमंडल बनासो के अधीन कुटीपीसी वीयर योजना, लपसिया वीयर योजना एंव लोअर घाघरा डैम योजना के गेटो के निर्माण एंव अधिष्ठापन कार्य हेतु रू० 26,26200.00 (रूपये छब्बीस लाख छब्बीस हजार दो सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :—

i.	कुटीपीसी वीयर योजना के अंडर स्लूइस गेटों, कैनाल आउटलेटस गेटों एवं इनके उत्तोलन प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य	—	रू० 9,61,600.00
ii.	लपसिया वीयर योजना के अंडर स्लूइस गेटों H/R, गेटों उत्तोलन प्रणाली, इम्बेडेड पार्टस इत्यादि का जीर्णोद्धार कार्य	—	रू० 6,80,800.00
iii.	लोअर घाघरा डैम योजना में H/R गेट्स, इम्बेडेड पार्टस एवं उतोलन प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य	—	रू 9,83,800.00
	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राशि योगः—		**₹ 26,26,200.00**

2. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) यॉंत्रिक प्रमंडल बनासो, हजारीबाग निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी होगें तथा मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होगे।
3. **इस कार्य पर होने वाला व्यय :—**
   i. मुख्य शीर्ष 4701— मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय—उपमुख्य शीर्ष—80—सामान्य लघुशीर्ष—789— अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—उपशीर्ष—46—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—43—अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)
   ii. मुख्य शीर्ष 4701— मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय—उपमुख्य शीर्ष—80—सामान्य लघुशीर्ष—796—जन जातिय क्षेत्र उपयोजना—उपशीर्ष—46—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन—विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—43—अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीरकण (सामग्री)
   iii. मुख्य शीर्ष 4701— मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय—उपमुख्य शीर्ष—80—सामान्य लघुशीर्ष—800—अन्य व्यय—उपशीर्ष—46—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन—विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—43—अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीरकण (सामग्री)

के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. इस कार्य का समावेश वर्ष 2015–16, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।

5. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम '300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।

6. राशि की निकासी हजारीबाग कोषागार से की जायेगी।

7. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

8. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2015–16, में प्रारंभ कर एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा।

9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।

11. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुर्नस्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

12. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।

13. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

15. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह० / –

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / प्र0स्वी0 / 29 / 2015.................................. / राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ / वित्त विभाग / योजना एवं विकास विभाग झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह० / –

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / प्र0स्वी0 / 29 / 2015.................................. / राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

ह० / –

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / प्र0स्वी0 / 29 / 2015.................................. / राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / संयुक्त सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता (यॉत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग / / अधीक्षण अभियंता (यॉत्रिक) सिंचाई यॉत्रिक अंचल, राँची / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, बनासो / अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एंव आयोजन अंचल–1 / 2 / 3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह० / –

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3 / पी॰एम॰सी॰ / प्र0स्वी0 / 29 / 2015....................................... / राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर को सूचनार्थ प्रेषित् करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः–3 / पी॰एम॰सी॰ / प्र0स्वी0 / 29 / 2015 21/15-16 प्र॰स्वी॰ **/ राँची, दिनांकः** 12.08.2015

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/08/15

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि॰)